झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (कला,विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा - 2013 से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 87/2012

एतद् द्वारा सभी कोटि के महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य एवं वर्ष 2013 इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित प्रपत्रादि के वितरण तथा पूर्ण रूपेण भरे हुए परीक्षा प्रपत्रों को परिषद् कार्यालय में जमा करने संबंधी विस्तृत विवरणी इस प्रकार है :-

(1) वर्ष 2013 की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र तथा सूचीकरण स्लीप का वितरण **दिनांक 08.11.2012 से 10.11.2012** तक परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से किया जायेगा। परीषद की विज्ञप्ति संख्या 18/2012, 20/2012, 38/2012 एवं 55/2012 में निहित निदेश **"ग्यारहवीं के परीक्षाफल प्रकाशन के बाद उसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से 15 दिनों के अन्दर झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी,"** के क्रम में सभी कोटि के महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वैसे महाविद्यालय जिन्होंने अभी तक इंटर प्रथम वर्ष (ग्यारहवीं) का परीक्षाफल कार्यालय में जमा नहीं किया है, वे परिषद् से सूचीकरण स्लीप प्राप्त करने के पूर्व परीक्षाफल अवश्य जमा करें।

(2) संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाचार्य के द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही पूर्ण रूप से भरे हुए परीक्षा प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की अवधि निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि(संध्या 5:00 बजे तक)	
बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ
21.11.2012 से 08.12.2012 तक	**15.12.2012 से 20.12.2012 तक**	**10.12.2012 से 14.12.2012 तक**	**21.12.2012 से 24.12.2012 तक**

संथाल परगना प्रमण्डल के अन्तर्गत संबंधित महाविद्यालय/+2 विद्यालय परीक्षा प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका से प्राप्त कर उपर्युक्त निर्धारित तिथि के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित महाविद्यालय/+2 विद्यालय परीक्षा प्रपत्र प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर से प्राप्त कर निर्धारित तिथि के अनुसार प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में ही जमा करेंगे।

(3) परीक्षा प्रपत्रादि भरने के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो सकते हैं, जिसकी सारी जिम्मेवारी परीक्षार्थी एवं संबंधित महाविद्यालय के प्रधान की होगी।

(4) परीक्षा प्रपत्र में विषयों के संकेताक्षर (Subject Code) का उल्लेख होना अनिवार्य है। संकेताक्षर परीक्षा प्रपत्र में मुद्रित है। जिसके आधार पर ही परीक्षार्थी परीक्षा प्रपत्र में अपने विषय अंकित करेंगे। **ध्यान रहे की सूचीकरण प्रमाण पत्र में जो विषय अंकित होगा, उसी विषय को परीक्षा प्रपत्र में अंकित करेंगे अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी वह मान्य नहीं होगा।**

(5) परीक्षार्थी किसी एक ही भाषा अंग्रेजी या हिन्दी 'ए'को कोर एवं इलेक्टीव के रूप में एक साथ चयन नहीं कर सकते हैं तथा अतिरिक्त विषय के रूप में (व्यावसायिक विषय छोड़कर) प्रायोगिक विषय का चयन नहीं करेंगे।

(6) इंटरमीडिएट परीक्षा में गैर भाषायी विषयों की परीक्षा का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला एवं उड़िया है। अतएव दूसरी भाषा में परीक्षा लिखना वर्जित है।

(7) वर्ष 2013 के इंटर परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र के साथ सूचीकृत किए गए नियमित/स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के समेकित विवरणी दी जा रही है।

(क) विवरणी 'ए' एक प्रति में मुद्रित है, जिसमें छात्र/छात्रा का फोटो के साथ-साथ पूर्ण विवरणी है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि को यह सूची वापस कर देंगे।

(ख) विवरणी 'बी' दो प्रति में मुद्रित है, जो कि फोटो रहित है। परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के साथ इसकी एक प्रति परिषद् को वापस करेंगे तथा दूसरी प्रति महाविद्यालय स्वयं अपने पास रखेंगे।

(ग) यदि सूचीकरण स्लीप में किसी तरह का संशोधन(यथा- नाम/पिता का नाम/माता का नाम/विषय/फोटो)की आवश्यकता हो, तो परिषद् कार्यालय से दिनांक 19.11.2012 तक संशोधन अवश्य करा लिया जाए। महाविद्यालय द्वारा किया गया संशोधन मान्य नहीं होगा।

(8) सूचीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में ही परीक्षा आवेदन प्रपत्र रखा जाय। जो छात्र परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे उन्हें अंतिम तिथि के समाप्त होने पर विवरणी 'ए' एवं 'बी' में उक्त सूचीकरण संख्या को Dropped दर्शाया जाय तथा Dropped किए गए छात्र/छात्राओं की एक सूची प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित अलग से जमा किया जाय। विवरणी 'ए' एवं 'बी' परिषद् कार्यालय में प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित करके भेजा जाय।

(9) पूर्ववर्त्ती छात्र/छात्रा के परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी पूर्व वर्ष की तरह अलग से तैयार की जाय।

(10)किसी भी स्थिति में महाविद्यालय/+2 विद्यालय के द्वारा वैसे परीक्षार्थी का आवेदन प्रपत्र अग्रसारित नहीं किए जायें जिनका सूचीकरण उक्त महाविद्यालय/+2 विद्यालय से नहीं हुआ है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उस महाविद्यालय/+2 विद्यालय के विरूद्ध कार्रवाई हेतु विश्वविद्यालय/राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा।

(11)महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी, न्यूमेरिकल के साथ प्रभारी प्राचार्य/प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि उपर्युक्त निर्देशों का पालन किया गया है।

(12)सभी महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि बचे हुए सादे परीक्षा प्रपत्र भरे हुए प्रपत्रों के साथ परिषद् कार्यालय में जमा कर दें या उनका शुल्क परिषद् कार्यालय में जमा करें अन्यथा उनका प्रवेश पत्र रोक दिया जाएगा।

(13)सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि नियमित/पूर्ववर्त्ती/सम्मुन्नत छात्र/छात्राओं की शुल्क की राशि अलग-अलग ड्राफ्ट एवं चालान के माध्यम से परिषद् कार्यालय में जमा किया जाय।

(14)परीक्षा शुल्क की कुल राशि A/c Payee बैंक ड्राफ्ट, जो **"झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड"** राँची के नाम से देय एवं भुगतेय,संथाल परगना प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड"** दुमका के नाम देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडेमिक कौंसिल फण्ड"** डाल्टेनगंज के नाम देय एवं भुगतेय होगा, के माध्यम से जमा करना होगा।

प्रति परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क की विस्तृत विवरणी

1) परीक्षा प्रपत्र शुल्क - ₹75.00 2) परीक्षा शुल्क(पूर्ण परीक्षा) - ₹175.00 3)औपबंधिक प्रमाण पत्र - ₹60.00 4) अंक पत्र - ₹60.00
5)प्रव्रजन प्रमाण पत्र - ₹60.00 6) लोकल लेवी - ₹230.00 7) विलम्ब शुल्क - ₹250.00 8)विविध शुल्क - ₹20.00
9)परीक्षा शुल्क(Qualifying)- ₹90.00

(15)अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ₹175.00 देय नहीं होगा। अन्य शुल्क सामान्य परीक्षार्थियों की तरह देय होगा। सामान्य वर्ग की छात्राओं (केवल नियमित) को परीक्षा शुल्क ₹175.00 देय नहीं होगा। **स्थापना अनुज्ञा प्राप्त महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं एवं सामान्य कोटि की छात्राओं को वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2013 के लिए परीक्षा शुल्क ₹175.00 देय होगा।**

(16)ऐसे छात्र/छात्रा जो सत्र 2004-06/2005-07/2006-08/2007-09/2008-10 में पंजीकृत हुए थे, उनके तीन वर्ष की सूचीकरण अवधि समाप्त हो गयी है, उसके लिए परीक्षा आवेदन पत्र के साथ सूचीकरण प्रपत्र शुल्क (₹70.00) एवं सूचीकरण शुल्क(₹175.00) कुल ₹245.00 प्रति परीक्षार्थी **अलग ड्राफ्ट के माध्यम से** जमा करना होगा। परीक्षा शुल्क सामान्य छात्र/छात्रा के अनुसार ही देय होगा तथा पंजीयन आवेदन प्रपत्र के साथ पूर्व में निर्गत सूचीकरण स्लीप की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा इसे रद्द कर दिया जायेगा।

(17)**Qualifying Examination in One Subject- As per section 42 of Regulation of Examination**

A Candidate who has passed Intermediate Examination in Arts, Science or Commerce may if he/she so desires, appear in any **one subject** of the Intermediate Examination under this Regulation **other than the subject in which he has already passed** and **if he/she secures at least the minimum pass marks prescribed for the subject he/she shall be given a certificate to the effect that he/she has passed in the subject.** Attendance at lectures and tutorials shall not be compulsory.

Provided that if such a candidate offers a subject in which practical examination is prescribed (other than Music and Home Science) **he/she shall be required to complete a regular course of practical work for a period of at least one year** in any Institution recognized by the Council and to produce a certificate from the principal of the Institution to that effect.

(18)पूर्ववर्त्ती छात्र/छात्रा जो Qualifying परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनका आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी अलग से तैयार कर परिषद् को उपलब्ध कराया जाय।

इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) समुन्नत परीक्षा, 2013 से संबंधित आवश्यक निर्देश

समुन्नत परीक्षा, 2013 के परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने एवं जमा करने हेतु तत्संबंधी नियम संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत है:-

Improvement of Performance

1) A candidate who has passed an examination of the Council may **re-appear for improvement of performance in one or more subjects in the main examination in the succeeding year only.** He will appear as a private candidate with his original registration number of the Council.
2) Those re-appearing for the whole examination may, however, appear as regular candidates also, if admitted by the School/+2/Intermediate College as regular student.
3) A candidate appearing for improvement in subject(s) involving practical shall appear only in theory and previous practical marks shall be carried forward and accounted for.
4) A candidate appearing for improvement of performance shall be issued only Statement of marks reflecting the marks obtained at the improvement examination in the subject(s).

N.B.: Improvement examination can not be given for any subject in which the candidate had failed.

सादा परीक्षा आवेदन प्रपत्र वितरण की तिथि: 08.11.2012 से 10.11.2012

भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि(संध्या 5:00 बजे तक)	
बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ
21.11.2012 से 08.12.2012 तक	**15.12.2012 से 20.12.2012 तक**	**10.12.2012 से 14.12.2012 तक**	**21.12.2012 से 24.12.2012 तक**

प्रति परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क की विस्तृत विवरणी

1) एक या सभी विषयों के लिए परीक्षा शुल्क : ₹450.00 2) अनुमति शुल्क : ₹400.00 3) परीक्षा प्रपत्र शुल्क : ₹75.00 4) विलम्ब शुल्क : ₹200.00
5) विविध शुल्क : ₹20.00

समुन्नत परीक्षा के छात्र/छात्राओं का परीक्षा आवेदन प्रपत्र एवं समेकित विवरणी पूर्व वर्ष की तरह **अलग से तैयार किया जाय** तथा उनके क्रमांक का आवंटन विज्ञान, वाणिज्य एवं कला के लिए **क्रमश: 40001; 50001 एवं 60001** से प्रारम्भ किया जाय।

नोट: **परीक्षा आवेदन पत्र एवं समेकित सूची पूरी सावधानी के साथ भरा जाय। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके लिए संबंधित परीक्षार्थी एवं संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य जिम्मेवार होंगे।**

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/549/12 Dt. 06.11.2012
D.O.P : 07.11.2012